

न्यायालय:-वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांगोद जिला-कोटा (राज.)।

आदेश:-

क्रमांक:

दिनांक: 27.11.2018

इस कार्यालय में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen./XIX/Misc./2002/609 दिनांक 18.05.18 की पालना में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु अधिनियम 2013 की धारा 4 के अंतर्गत सांगोद मुख्यालय हेतु 03 वर्ष के कार्यकाल के लिए निम्न प्रकार समिति गठित की जाती है:-

01. श्री कानाराम मीणा, पीठासीन अधिकारी
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांगोद, जिला कोटा।
मोबाईल नंबर:- 9460380348
02. श्री अनिल कुमार सोरल, सदस्य
रीडर ग्रेड-द्वितीय,
न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांगोद, जिला कोटा।
मोबाईल नंबर:-9887169740
03. सुश्री पूजा विजय, सदस्य
स्टेनोग्राफर ग्रेड-तृतीय,
न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांगोद, जिला कोटा।
मोबाईल नंबर:-7229873413
04. श्रीमति अल्का गुप्ता, सदस्य
मोबाईल नंबर:- 9461243159
05. श्रीमति सुषमा चतुर्वेदी, सदस्य
समाज सेविका,
मोबाईल नंबर:-9414649698,

समिति का कार्यकाल अधिनियम के विधायी प्रावधानों की शर्तों के अधीन रहेगा।

उक्त समिति प्राप्त शिकायतों को स्थाई रजिस्टर में प्रविष्टि कर इनका निराकरण निर्धारित समयवधि में करते हुए इस कार्यालय को सूचित करेगी।

Estt.
न्याय
11.11.18



क्रमांक:- 1150

दिनांक:- 27.11.2018

प्रतिलिपि निम्न को सादर प्रेषित है:-

01. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा,
02. श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा।
03. संबंधित सदस्यगण श्री/श्रीमति/सुश्री.....।

(कानाराम मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांगोद जिला कोटा (राज.)

(कानाराम मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांगोद जिला कोटा (राज.)